

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटके पास, सी-स्कीम जयपुर

क्रमांक : एफ.2(घ)(338)आरएमएस/जॉच/डीएलबी/2024/ 647

दिनांक : 20/02/24

:: आदेश ::

श्री होतीलाल मीणा अधिशाषी अभियन्ता जिनके पास दिनांक 06 अक्टूबर 2023 तक आयुक्त नगर परिषद, सवाई माधोपुर का भी कार्यप्रभार था के कार्यकाल में नगर परिषद सवाई माधोपुर में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के क्रम में निदेशालय स्तर से वरिष्ठ लेखाधिकारी की अध्यक्षता में एक जॉच दल का गठन किया गया। उक्त जॉच द्वारा नगर परिषद सवाई माधोपुर के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखों की जॉच की गई। जॉच दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार श्री होतीलाल को विभागीय आदेश क्रमांक : 9014 दिनांक 06.10.2023 द्वारा तुरन्त प्रभाव से पदस्थापन आदेशो की प्रतीक्षा में किया गया था परन्तु उनके पास आयुक्त का कार्यप्रभार नहीं होने तथा एपीओ किये जाने के उपरान्त भी दिनांक 08.10.2023 व 12.10.2023 को उनके डिजिटल हस्ताक्षरों से राशि रुपये 96,47,960 के कुल 05 बिल कोष कार्यालय को भिजवाये गये। इस सम्बन्ध में श्री होतीलाल मीणा - अधिशाषी अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवम् अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1) में प्रदत्त शक्तियों के तहत श्री होतीलाल मीणा - अधिशाषी अभियन्ता हाल पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में निदेशालय को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में इन का मुख्यालय कार्यालय निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग में रहेगा तथा इनको नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर परिषद सवाई माधोपुर से किया जावेगा।

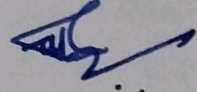
(सुरेश कुमार ओला)(IAS)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : एफ.2(घ)(338)आरएमएस/जॉच/डीएलबी/2024/ 648-654 दिनांक : 20/02/24
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. प्रमुख शासन सचिव, सिंचाई विभाग, जयपुर को अनुमोदनार्थ प्रेषित है।
02. अतिरिक्त निदेशक निदेशालय।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, भरतपुर।
04. आयुक्त, नगर परिषद सवाई माधोपुर।

05. श्री होतीलाल मीणा – अधिशाषी अभियन्ता हाल एपीओ, निदेशालय ।
06. आर.एम.एस. (तकनीकी संस्थापन) अनुभाग निदेशालय ।
07. सुरक्षित पत्रावली ।



(चौदमल वर्मा)
अतिरिक्त निदेशक